संख्या- 06 /2021 / 33 /चार-2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2021

विषय:- लोक कलाओं एवं लोक कलाकारों के कलारूपों के दस्तावेजीकरण / अभिलेखीकरण की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3476/सं0नि0-15(51)/2020-21 दिनांक 06 जनवरी, 2021 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक कलाओं एवं लोक कलाकारों के कलारूपों के दस्तावेजीकरण/ अभिलेखीकरण हेतु रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त कार्य संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ द्वारा कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी जिनके द्वारा नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर कराये गये कार्यो तथा व्यय का पूर्ण विवरण संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा और धनराशि स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया जायेगा, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 , दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

5- उक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-11-कला एवं संस्कृति की शिक्षा, लोक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परम्पराओं का वीडियों अभिलेखीकरण, योग्य छात्रों एवं वृद्ध कलाकारों को आर्थिक सहायता योजना -42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से प्रदान की जा रही है।

6 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/ दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या- 06 /2021/ 33 /चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला संस्कृति संस्थान, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।